लोक अदालत खण्डपीठ कमांक–4 बालोद,जिला बालोद(छ0ग0)
(पीठासीनः–अशोक कुमार लाल)

आप0 प्रक0 कं0–366/18

संस्थित दिनांकः–17.05.2018

छ0ग0शासन

-------------------अभियोजन

विरूद्ध

नारद राम सिन्हा

-------------------आरोपी

–:अधिनिर्णयः–
//दिनांक 08/09/2018 को घोषित//

आज यह प्रकरण लोक अदालत खण्डपीठ कं0–04 में प्रस्तुत हुआ।

आरोपी सहित अधि0 श्री बी.पी. साहू उप0।

प्रार्थी मोहन लाल सिन्हा उप0। उसने एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा–320 (1) (8) एवं 320 (2) दं.प्र.सं. का आरोपी से राजीनामा किये जाने की अनुमति बाबत् पेश किया।

प्रकरण के अवलोकन में पाया गया कि आरोपी के विरूद्ध धारा–294, 506 बी, 323 भा0दं0वि0 का अभियोग है जो कि राजीनामा योग्य है। अतः प्रार्थी को राजीनामा करने की अनुमति दी जाती है।

प्रार्थी एवं आरोपी द्वारा उनके मध्य अच्छे संबंध व सुलह हो जाने के आधार पर राजीनामा किया जा रहा है। प्रार्थी से पूछे जाने पर उसने स्वेच्छया से बिना किसी डर दबाव व लालच के आरोपी से राजीनामा करना व्यक्त किया तथा प्रार्थी की पहचान अधि0 श्री दीपक सामटकर द्वारा किया गया। उपरोक्तानुसार उभयपक्ष का राजीनामा आवेदन बाद तस्दीक स्वीकार किया गया। राजीनामा के आधार पर **आरोपी नारद राम सिन्हा** को **धारा–294, 506 बी, 323 भा0 दं0 वि0** के अपराध से **दोषमुक्त** किया जाता है।

आरोपी के जमानत मुचलके उन्मुक्त किया जाता है।

प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं।

प्रार्थी एवं आरोपी को अधिनिर्णय की प्रतिलिपि दिया जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेख अभिलेखागार में जमा किया जावे।

सही/–
अशोक कुमार लाल
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
खंडपीठ क0–04
बालोद छ0ग0

सदस्य–

1. श्री चित्रांगद देशमुख, अधिवक्ता :–...सही/–.......

2. श्री पुनूराम गुरूपंच, से0नि0 शिक्षक :–....सही/–.......